माननीय म.म. कुमार और राकेश कुमार जैन, न्यायाधीश.

भारत संघ एवं अन्य,—याचिकाकर्ता बनाम

पुरंजीत सिंह एवं अन्य,—प्रत्युत्तरदाता

सी.डब्ल्यू.पी. संख्या **18535** का **2007**

4 दिसंबर, **2007**

भारत का संविधान, **1950**—अनुच्छेद **226**—रिक्ति के उद्भव की तारीख से पदोन्नति के लिए विचारणीयता का दावा—ट्रिब्यूनल ने आवेदक-प्रत्युत्तरदाता को रिक्ति खाली होने की तारीख से मान्यतापूर्वक पदोन्नत मानने का आदेश दिया—कर्मचारी की बर्खास्तगी पर रिक्ति उपलब्ध हुई—प्रत्युत्तरदाता वरिष्ठतम कर्मचारी पदोन्नति के लिए विचाराधीन होने का हकदार—प्रत्युत्तरदाता का दावा इस आधार पर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि प्रतिनियुक्ति पर एक व्यक्ति को प्रभार दिया गया था—ट्रिब्यूनल ने राहत को केवल नाममात्र के पुनर्निर्धारण वेतन तक सीमित रखा—याचिका को गलत धारणा के आधार पर खारिज किया गया।

यह माना गया, कि जब एक वरिष्ठतम विभागीय कर्मचारी उपलब्ध होता है तो दूसरे व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर बुलाना तब तक पूरी तरह से अनुचित होगा जब तक कि किसी आपराधिक या अनुशासनिक कार्यवाही की प्रतीक्षा जैसे कोई मजबूरी न हो। ऐसे किसी तथ्य के अभाव में, प्रत्युत्तरदाता संख्या १ की मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए न विचार करना, जबकि यह पद श्री के.के. जेराथ की बर्खास्तगी के बाद उपलब्ध हुआ था, इस तथ्य के बावजूद कि वह चंडीगढ़ नगर निगम के साथ प्रतिनियुक्ति पर थे, अनुचित था। किसी भी मामले में, ट्रिब्यूनल ने वेतन की पिछली राशि की राहत तो प्रदान नहीं की है, लेकिन राहत को नाममात्र के पुनर्निर्धारण वेतन तक सीमित रखा है और उस आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ की रिहाई की है। इसलिए, हमें ट्रिब्यूनल के तर्कसंगत आदेश में इस अदालत के हस्तक्षेप के लिए कोई स्थान उचित नहीं लगता।

(पैराग्राफ **3)**

याचिकाकर्ताओं के लिए पी एस. ढालीवाल, वकील।

माननीय एम.एम. कुमार, न्यायाधीश।

(1) संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत दायर इस याचिका में 18 अक्टूबर, 2006 को पारित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ (संक्षिप्त में 'न्यायाधिकरण') द्वारा प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर मूल आवेदन (एनेक्स्चर पी.3) को मंजूरी देने वाले आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है। न्यायाधिकरण ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि प्रथम प्रतिवादी को 24 नवंबर, 1997 को मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नत किया जाए, जब उक्त रिक्ति संघ शासित प्रदेश प्रशासन में खाली हुई थी और उसके वेतन को काल्पनिक रूप से निर्धारित किया जाए। आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 को काल्पनिक वेतन निर्धारण के आधार पर सभी सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार माना गया है, लेकिन वेतन की पिछली बकाया राशि नहीं।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 30 सितंबर, 2003 को सेवानिवृत्ति ली। उन्हें 23 अगस्त, 2001 से प्रभावी मुख्य अभियंता के रूप में केवल सेवानिवृत्ति लाभ जैसे कि पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण आदि प्रदान किए गए थे। उन्होंने ट्रिब्यूनल के समक्ष मूल आवेदन दायर किया था जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें 24 नवंबर, 1997 से मुख्य अभियंता के रूप में विचार और पदोन्नति के लिए अधिकारी माना जाना चाहिए जब मुख्य अभियंता की रिक्ति खाली हुई थी। उनके दावे का आधार यह था कि श्री के.के. जेरथ जो उस तिथि तक चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य अभियंता के रूप में काम कर रहे थे, 8 मार्च, 1999 के आदेश द्वारा,— प्रभावी रूप से 24 नवंबर, 1997 से सेवा से बर्खास्त कर दिए गए थे। उन्होंने दावा किया कि रिक्ति 23 अगस्त, 2001 के बजाय 24 नवंबर, 1997 से उत्पन्न हुई थी जब उन्हें मुख्य अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्होंने आगे दावा किया कि श्री आर.के. जैन जिन्हें 24 नवंबर, 1997 को मुख्य अभियंता के पद का प्रभार दिया गया था, PWD (B&R), हरियाणा विभाग से एक प्रतिनियुक्ति थे और दावा किया कि श्री जैन को मुख्य अभियंता के पद को धारण करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 उपलब्ध थे जो कि सबसे वरिष्ठ यू.टी. कैडर कर्मचारी थे। इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 ने चंडीगढ़ प्रशासन अर्थात् संघ राज्य क्षेत्र के समक्ष अपने मामले की विचारणा के लिए 24 नवंबर, 1997 से मुख्य अभियंता के रूप में प्रस्तुत किया था। यह भी रिकॉर्ड पर आया है कि प्रतिवादी संख्या 1 नगर निगम में मुख्य अभियंता के रूप में कार्यरत थे। ट्रिब्यूनल ने के.के. जेरथ बनाम भारत संघ और अन्य OA No. 639 CH of 1990 के अपने पूर्व निर्णय पर निर्भरता करते हुए, इस प्रकार निर्धारण किया:—"

"...हमारे विचार में, केवल इसलिए कि आवेदक नगर निगम, चंडीगढ़ में मुख्य अभियंता के रूप में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहा था, जो एक समकक्ष पद था, उसके मूल कैडर में मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार, जिसके लिए वह नियमानुसार योग्य था, उसे इनकार नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, अनेक मामलों में इस न्यायाधिकरण ने यह माना है कि यदि फीडर कैडर में योग्य व्यक्ति उपलब्ध हों, तो प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों को नियुक्त करना अवैध और मनमाना है। एक प्रतिनियुक्ति पर व्यक्ति की जड़ें मूल कैडर में होती हैं और वह उधार लेने वाले विभाग के कैडर का हिस्सा नहीं होता है। केवल अवशोषण के बाद ही वह कैडर का सदस्य बनता है। जब कैडर में ही पदोन्नति के लिए योग्य व्यक्ति उपलब्ध होता है, तो केवल इस आधार पर उसके दावे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि प्रतिनियुक्ति पर पहले से ही काम कर रहा एक व्यक्ति, जो वरिष्ठतम हो, को मुख्य अभियंता के पद का प्रभार दिया गया था। यह प्रतिवादियों की ओर से यह मामला नहीं है कि आवेदक को पदोन्नति के लिए विचार में लिया गया था और उसे अयोग्य या अनुपयुक्त पाए जाने पर, फीडर कैडर के एक वरिष्ठतम को मुख्य अभियंता के रूप में पदस्थ किया गया था। ऐसी कार्रवाई बल्कि प्रतिवादियों की ओर से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का सुझाव देती है जो आवेदक के प्रोन्नति के मामले को उचित समय पर विचार में नहीं लाती है। इसके अलावा, यह अनुचित और अन्यायपूर्ण है। आवेदक के साथ स्पष्ट अन्याय हुआ है क्योंकि मुख्य अभियंता के पद पर एक प्रतिनियुक्ति को पदस्थ किया गया था जबकि, वास्तव में, आवेदक पदोन्नति के लिए विचार में लिए जाने के लिए उपलब्ध था। उसे उसके मूल कैडर में पुनः पदस्थापना और बाद में मुख्य अभियंता के रूप में पदोन्नति पर अर्जित वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया।"

(3) हमने संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के लिए अधिवक्ताओं को काफी लंबाई में सुना है और पाते हैं कि ट्रिब्यूनल द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब एक वरिष्ठतम विभागीय कर्मचारी उपलब्ध होता है तो किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर बुलाना पूरी तरह से अनुचित होगा जब तक कि कोई मजबूरी न हो जैसे कि आपराधिक या अनुशासनात्मक कार्यवाही का लंबित होना। ऐसे तथ्यों के अभाव में, श्री के.के. जेरथ की बर्खास्तगी के बाद जब मुख्य अभियंता का पद उपलब्ध हो गया, तो प्रतिवादी संख्या 1 के पदोन्नति के लिए विचार न करने का, प्रतिवादी संख्या 1 के नगर निगम, चंडीगढ़ के साथ प्रतिनियुक्ति पर होने के तथ्य के बावजूद, उन्हें विचार किए जाने का अधिकार था। किसी भी मामले में,

ट्रिब्यूनल ने वेतन के बकाया की राहत प्रदान नहीं की है बल्कि राहत को केवल वेतन के काल्पनिक पुनर्निर्धारण तक सीमित कर दिया है और फिर उस आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ की रिहाई तक। इसलिए, हमें इस न्यायालय द्वारा ट्रिब्यूनल के सुविचारित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता। रिट याचिका गलत सोची गई है और इसी के अनुसार खारिज की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी , हरियाणा